पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 418/2024

अनवान : –

राहुल पुत्र राम कुमार जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. राम कुमार पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. बलवंती पत्नी राम कुमार जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. रविना पुत्री राम कुमार पत्नी अरविन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुन्दनलाल वादी
श्री विकास शर्मा प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 20/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक न0 21 के.एन.एन. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स0 51 में

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

अंकित कुल 3.985 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता स0 204 में अंकित कुल 0.493 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इजराय प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/12/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner